

प्रथम जिला न्यायाधीश
राजस्थान न्यायाधीश जिला कोटा

25/4/22 1. वहील दाही एवं परावारी ले- 2, 3

(1, 2, 3, 4) 1/11, 1/12 3500 शेख अहमद।
जिनकी एक पक्षीय व्यवसायी हर दाही के मुख्य
वहील शेख से अप्रतिपत्त नहीं ली है के डेट
सहायक वहील के पक्षीय छद्म हेतु अप्रतिपत्त
आहवा परावारी दाही पक्षीय छद्म जिनो 25/4/22
रिपय है

प्रथम जिला न्यायाधीश
राजस्थान न्यायाधीश जिला कोटा